<u>प्रतिवेद्य</u>

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>रि.या.(सि.) सं.17193/2006</u>

<u>निर्णय की तिथि: 23 दिसंबर, 2009</u>

उमेश कौशिक ...याचिकाकर्ता

द्वारा श्री जी.डी. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री एस.के. सिंघा, अधिवक्ता

बनाम

भारतीय बैंक और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा श्री वी.के. राव, अधिवक्ता के साथ श्री आयुष कुमार, अधिवक्ता

कोरमः
माननीय न्यायाधीश मिस रेखा शर्मा

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हां
2. संवाददाता के पास प्रेषित किया जाना है या नहीं? हां
3. क्या निर्णय की सूचना "डाइजेस्ट" में दी जानी चाहिए? हां

<u>न्या. रेखा शर्मा</u>

याचिकाकर्ता इंडियन बैंक की हौज खास शाखा में एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था जब उसे लगा कि उसके पास यह पर्याप्त है इसलिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए उसने इसे एक दिन व्यथित होकर कर

पत्र की तारीख जो की दिनाँक 1 जून, 2005 थी से त्याग पत्र देने के अपने इरादे से तीन महीने का नोटिस दिया। त्याग पत्र जो की चेन्नई में बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को संबोधित किया गया था और भारतीय बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 20(2) के संदर्भ में था। साथ ही, उन्होंने न्यासियों, भारतीय बैंक कर्मचारी भविष्य निधि को संबोधित एक पत्र भी भेजा, जिसमें उन्हें अपने अंतिम लाभों से बैंक में अपनी सभी देनदारियों को समायोजित करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से प्राधिकृत किया गया था। उसी दिन हौज खास शाखा के सहायक प्रबंधक ने अपना पत्र अनुकूल प्रतिफल के लिए महाप्रबंधक, सर्कल कार्यालय, नई दिल्ली को भेज दिया। इसके दो दिन बाद, यानी दिनाँक 3 जून, 2005 को सर्कल ऑफिस के महाप्रबंधक ने इसे स्वीकार करने की सिफारिश करते हुए चेन्नई के मुख्य कार्यालय को भेज दिया। इसके तुरंत बाद ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता थोड़ा और अतिउत्सुक हो गया है। इस मामले को जल्द से जल्द समाप्त करने के अपने संकल्प में, दिनाँक दिनाँक 29 जून, 2005 को उन्होंने भारतीय बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 20(2) के तहत आवश्यक तीन महीने की नोटिस अवधि को पूरा करने में असमर्थता दिखाते हुए बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को एक और पत्र भेजा। उन्होंने कहा कि वह नोटिस की शेष अवधि का वेतन देने के लिए तैयार हैं जो उनके द्वारा नहीं दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप, दिनाँक 1 जून, 2005 का उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया

जाए। हालाँकि, यह उनके प्रस्ताव और बैंक के निपटारे का मामला होने से इनकार कर दिया।

दिनाँक 1 अगस्त, 2005 को सर्कल कार्यालय के महाप्रबंधक ने महाप्रबंधक, मुख्य कार्यालय को लिखा कि *"निरीक्षण रिपोर्ट और शाखा द्वारा प्रस्तुत उत्तरों के अवलोकन पर, हम देखते हैं कि कोई बड़ी अनियमितता लंबित नहीं है। इसलिए हम अनुशंसा करते हैं कि प्रस्तुत किए गए इस्तीफे को नियमों के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है।"* इसके बाद, दिनाँक 6 अगस्त, 2005 को उन्होंने चेन्नई में मुख्य सतर्कता अधिकारी को यह भी सूचित किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित या विचाराधीन नहीं है और फिर से सिफारिश की कि इस्तीफे को नियमों के अनुसार स्वीकार किया जाए। सहायक प्रबंधक, हौज खास शाखा और महाप्रबंधक, सर्कल कार्यालय द्वारा याचिकाकर्ता का इस्तीफा मुख्य कार्यालय को भेजने में जल्दबाजी दिखाने के बावजूद और महाप्रबंधक द्वारा चेन्नई में मुख्य सतर्कता अधिकारी को यह बताने के बावजूद कि न तो कोई विभागीय मामला लंबित था या विचाराधीन था, न ही उनके खिलाफ कोई बड़ी अनियमितता लंबित थी, मुख्य कार्यालय ने इस्तीफे के पत्र पर विचार किया। जबकि याचिकाकर्ता प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि यह अनुकूल होगा, ऐसा लग रहा था कि बैंक को कोई जल्दबाजी नहीं है। आखिरकार, उसने जवाब दिया। यह दिनाँक 31 अगस्त, 2005 की बात है। याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि दिनाँक 1

जून, 2005 के उनके अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। पत्र में कोई कारण नहीं था। उक्त पत्राचार प्राप्त होने के अगले ही दिन, याचिकाकर्ता ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को वापस पत्र लिखकर मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, जिसके बाद दिनाँक 6 सितंबर, 2005 को एक और पत्र लिखा गया, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि वह पत्र की तारीख से प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं और उन्हें यह भी शिकायत की गई कि बैंक का बिना किसी कारण के उनका इस्तीफा प्रतिग्रहण करना करने से इनकार करने का निर्णय उन्हें नियंत्रित करने वाले सेवा विनियमों का उल्लंघन था। उसी संचार में, उन्होंने अपरिहार्य विशेषाधिकार अवकाश को भुनाने और बैंक को देय देय राशि की कटौती के बाद इंडियन बैंक, हौज खास शाखा में अपने बचत खाते में इसे जमा करने सहित अपने बकाया का निपटान करने का भी अनुरोध किया। पत्र में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए, उन्होंने दिनाँक 21 जनवरी, 2006 को एक अनुस्मारक भेजा। यह भी मौन के साथ मिला जो केवल टूट गया था। दिनाँक 07 अगस्त, 2006 के पत्र द्वारा से।श्री एक्स जोसेफ एंथुवन ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें उनपूर्वाहन खिलाफ जांच करने पूर्वाहन लिए एक जांच अधिकारी पूर्वाहन रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें दिनाँक 24 अगस्त, 2006 को अपराह्न भारतीय बैंक, सर्कल कार्यालय, नई दिल्ली पूर्वाहन परिसर में उनपूर्वाहन सामने पेश होने पूर्वाहन लिए कहा गया है। उक्त पत्राचार की प्राप्ति पर, याचिकाकर्ता ने दिनाँक 18 अगस्त, 2006 को जांच अधिकारी

को एक पंजीकृत पत्र भेजा, जिसमें उनके ध्यान में लाया गया कि उन्होंने पहले ही दिनाँक 1 जून, 2005 के अपने पत्र के माध्यम से बैंक से इस्तीफा दे दिया था और इसे देखते हुए, उनके खिलाफ प्रस्तावित आंतरिक अनुशासनात्मक कार्यवाही अवैध थी और उन पर बाध्यकारी नहीं थी। इस प्रकार, उन्होंने जांच अधिकारी से तथाकथित अनुशासनात्मक कार्यवाही से दूर रहने का आह्वान किया। हालाँकि, अपने कथित रुख पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन्होंने यह भी शिकायत की कि बिना किसी प्रारंभिक जांच के उनके खिलाफ आरोप-पत्र तैयार किया गया था और किसी भी मामले में, उन्हें कोई आरोप-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया था। याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी से जो अगला पत्र मिला वह दिनाँक 22 सितंबर, 2006 का था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले याचिकाकर्ता की ओर से दिनाँक 24 अगस्त, 2006 को उनके समक्ष पेश होने में विफलता और फिर उन्हें सूचित किया गया कि अगली बैठक दिनाँक 09 अक्टूबर, 2006 को निर्धारित की गई थी। उनके द्वारा आरोप-पत्र की एक प्रति और दिनाँक 24 अगस्त, 2006 को आयोजित कार्यवाही की एक प्रति भी संलग्न की। आरोप-पत्र की प्रति के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ बनाए गए आरोप के अनुच्छेद इस प्रकार थेः-

> "1) आप सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना आज तक दिनाँक 06.09.2005 से कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं।

2) आप उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं, क्योंकि आप कर्तव्य में फिर से शामिल होने में विफल रहे हैं, यह कहते हुए कि आप कर्तव्य में फिर से शामिल होने के निर्देशों के बावजूद पद छोड़ रहे हैं, इस प्रकार वरिष्ठों के वैध आदेशों की अवज्ञा कर रहे हैं।"

उनका इस्तीफा देने और उनके अंतिम लाभों का भुगतान नहीं करने के बावजूद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने में बैंक की कार्रवाई से व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए वर्तमान रिट-याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का रुख कियाः-

"(i) तत्काल रिट-याचिका की अनुमति दें और घोषणा करें कि दिनाँक 12.04.2006 के आक्षेपित आरोप-पत्र के माध्यम से शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही अवैध, बिना किसी सक्षमता के, मनमाना और प्रारंभ से ही अमान्य है;

(ii) घोषणा करें कि याचिकाकर्ता का दिनाँक 01.06.2005 का इस्तीफा नोटिस की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी हुआ, यानी दिनाँक 01.06.2005 से तीन महीने;

(iii) प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता को सभी सावधि बकाया जारी करने का निर्देश दें;

(iv) प्रत्यर्थीगण द्वारा उपदान और अन्य सावधि लाभों के कारण रोकी गई राशि पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान उस तारीख से किया जाना है जब तक कि उसका अंतिम भुगतान नहीं किया जाता है।

(v) इस मुकदमे की मुकदमा गणित लागत की गणना रू.55,000/- के रूप में की जाती है।"

ऊपर जो देखा गया है, उसके लिए निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होते हैं और वे हैं क्या बैंक याचिकाकर्ता के इस्तीफे को प्रतिग्रहण करना करने से इनकार कर रहा था और दूसरा, उसके खिलाफ आरोप के अनुच्छेदों पर जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जैसा कि ऊपर देखा गया है और उसे उसके सावधि लाभों का भुगतान नहीं कर रहा था?

उपरोक्त प्रश्नों से निपटने के लिए आगे बढ़ने से पहले, मुझे ध्यान देना चाहिए कि बैंक का क्या कहना है।

दिनाँक 9 मार्च, 2007 को दायर रिट-याचिका के प्रति अपने जवाबी-शपथ पत्र में और दिनाँक 28 जनवरी, 2008 को दायर अतिरिक्त शपथ पत्र में बैंक द्वारा यह विवादित नहीं है कि दिनाँक 1 जून, 2005 को जब याचिकाकर्ता ने अपना इस्तीफा जमा किया था और तीन महीने की नोटिस अवधि समाप्त होने तक भी, उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही या तो लंबित नहीं थी या उसके बारे में विचार ही नहीं किया गया था। हलफनामों से सामने आने वाले याचिकाकर्ता के इस्तीफे को स्वीकार नहीं करने का एकमात्र कारण यह है कि हौज खास शाखा में शाखा प्रबंधक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित रूप से कुछ अनियमितताएं की गई थीं, जिसके बारे में कुछ सतर्कता निरीक्षण चल रहा था और इस कारण से उन्हें सतर्कता मंजूरी नहीं दी गई थी। जहां तक

महाप्रबंधक के दिनाँक 06 अगस्त, 2005 के पत्र का संबंध है, जिसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं थी या उनके खिलाफ विचार नहीं किया गया था और इसके परिणामस्वरूप इस्तीफे को स्वीकार करने की सिफारिश की गई थी, यह कहा गया है कि यह केवल एक अंतर-विभागीय पत्राचार था और किसी भी मामले में, बाद में मुख्य कार्यालय में सतर्कता विभाग ने दिनाँक 29 अगस्त, 2005 को मानव संसाधन विकास विभाग को संबोधित एक आंतरिक पत्राचार में व्यवस्था, प्रक्रियाओं, अग्रिमों, दस्तावेजों आदि का पालन करने में कई गंभीर अनियमितताओं/कमियों को देखा था। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस पत्र के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस्तीफे को सही ढंग से खारिज कर दिया। बैंक ने दिनाँक 14 सितंबर, 2005 के एक पत्र का भी संदर्भ दिया है, जिसमें उसने दावा किया है कि उसने याचिकाकर्ता को भेजा था और इस प्रकार उन्हें सूचित किया गया था कि उनके इस्तीफे के अनुरोध के परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी ने सतर्कता अनापत्ति मांगी थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया था और परिणामस्वरूप, उनके इस्तीफे के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए, उसी पत्र द्वारा, उन्हें इस चेतावनी के साथ तुरंत ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की सलाह दी गई थी कि ऐसा करने में उनकी विफलता पर, ड्यूटी से उनकी अभाव को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनधिकृत उपचारित माना जाएगा। बैंक ने दिनाँक 28 जनवरी, 2008 के अतिरिक्त शपथ पत्र के अनुलग्नक-आर/बी पर

भी भरोसा किया है, जिसमें सतर्कता निरीक्षण के दौरान पाई गई कथित अनियमितताओं का विवरण है।

याचिकाकर्ता ने दिनाँक 14 सितंबर, 2005 का पत्र या अतिरिक्त शपथ पत्र के अनुलग्नक-आर/बी प्राप्त होने से इनकार किया है। वहीं दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने स्वय को उक्त अनियमितताओ के आधार पर तर्क दिया था जो व्यक्तिगत कारणों से नही था। कारण यह है कि याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए याचिकाकर्ता ने इस्तीफा देने का फैसला किया था।

इस स्तर पर मुझे उस विनियमन का उल्लेख करने दें जो एक अधिकारी की समाप्ति और इस्तीफे को नियंत्रित करता है। यह भारतीय बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 का विनियम 20(2) और (3)(i) है। यह निम्नानुसार चलता हैः-

> "20. सेवा की समाप्ति-
>
> x x x x x x
>
> (2) एक अधिकारी पहले अपनी सेवा छोड़ने या बंद करने या इस्तीफा देने के अपने इरादे की लिखित सूचना दिए बिना बैंक में अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या बंद नहीं करेगा। आवश्यक सूचना की अवधि तीन महीने की होगी और इन विनियमों में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी तीन महीने की अवधि को कम कर सकता है या नोटिस की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।

(3)(i) एक अधिकारी जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना बैंक में अपनी सेवा को नहीं छोड़ेगा/बंद नहीं करेगा या इस्तीफा नहीं देगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही से पहले या उसके दौरान ऐसे अधिकारी द्वारा दिए गए इस्तीफे की कोई भी सूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाता है।"

विनियमन 20(3)(i) क्या कहता है? यह बिना किसी अस्पष्टता के कहता है कि यह केवल उस अधिकारी पर लागू होगा जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही "लंबित" है। इन "लंबित" शब्दों का क्या अर्थ है? इसका उत्तर विनियमन 20(3)(ii) में मिलता है जो इस प्रकार हैः-

"20(3)(ii) इस विनियमन के उद्देश्य से किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित मानी जाएगी यदि उसे निलंबन के तहत रखा गया है या उसे कारण बताने के लिए कोई नोटिस जारी किया गया है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाएगी या जहां उसके खिलाफ कोई आरोप-पत्र जारी किया गया है और सक्षम प्राधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक लंबित माना जाएगा।"

उपरोक्त दो विनियमों को एक साथ पढ़ने पर, किसी को कोई संदेह नहीं रह जाता है कि जिस समय याचिकाकर्ता ने दिनाँक 29 जून, 2005 के एक अन्य पत्र के साथ अपने इस्तीफे का नोटिस भेजा था, वह विनियम 20(3)(i) के दायरे और पहुंच से परे था जिसे विनियम 20(3)(ii) के साथ पढ़ा गया था।

और, मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि उस समय, निश्चित रूप से, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचार में नहीं थी, उसके खिलाफ ऐसी कार्यवाही लंबित होने की क्या बात है। उन्हें निलंबन के तहत नहीं रखा गया था, यहां तक कि कारण बताने का नोटिस जिसका उल्लेख विनियमन 20(3)(ii) में किया गया है। वह भी जारी नहीं किया गया था, यहाँ याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप-पत्र नहीं था। यह सच है कि उन्होंने तीन महीने का नोटिस दिया था। भले ही तर्कों के लिए उस अवधि को भी इसमें सम्मिलित किया है और ध्यान दिया गया है कि वह अवधि दिनाँक 1 सितंबर, 2005 को समाप्त हो गई थी। उस अवधि के दौरान भी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ शुरू किया गया था। इन्हीं कारणों से मैंने पहले देखा कि यह मामला विनियमन 20(3)(i) की दायरे और पहुंच से परे था। जिसे विनियमन 20(3)(ii) के साथ पढ़ा जाता है। यह स्थिति होने के कारण, तीन महीने की नोटिस अवधि समाप्त होने के बहुत बाद जो हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगस्त, 2006 में शुरू की गई जाँच से निराशा नही होगा। की पहले से ही फलीभूत हो चुका था, यह नहीं हो सकता था, और मेरे विचार से, याचिकाकर्ता को पहले से प्राप्त अधिकार को छीन नहीं जा सकता था। जांच जो की याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की थी व्यर्थ की कवायद थी। एकमात्र शर्त जिसे याचिकाकर्ता को पूरा करने की आवश्यकता थी, वह विनियमन 20(2) द्वारा विचार किया गया था जो तीन महीने का नोटिस देने को अनिवार्य करता

है। यह किसी एक याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि यह शर्त पूरी नहीं हुई थी। हौज खास शाखा में शाखा प्रबंधक के रूप में तैनात रहते हुए याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से की गई कुछ अनियमितताओं के बारे में इतना कुछ करने वाले बैंक ने नोटिस की अवधि के दौरान कभी भी उसका सामना करने की परवाह नहीं की। और जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि जब जांच अधिकारी को उनके खिलाफ जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, तब भी वह किसी भी कथित अनियमितता से संबंधित नहीं था, बल्कि केवल नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद ड्यूटी से उनकी अभाव के संबंध में था। यह क्या दिखाने के लिए किया जाता है? यह दर्शाता है कि तथाकथित अनियमितताएं याचिकाकर्ता के त्याग पत्र को अस्वीकार करने के लिए केवल एक दांव-पेंच था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, किसी भी मामले में, चूंकि नोटिस की अवधि से पहले या उसके दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ विनियमन 20(3)(i) और (ii) के संदर्भ में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए दिनाँक 1 जून, 2005 का त्याग पत्र नोटिस की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी हुआ। इसलिए, दिनाँक 12 अप्रैल, 2006 के आरोप-पत्र के माध्यम से उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकी।

पूर्वगामी कारणों से, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता का इस्तीफा नोटिस की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी हुआ। उन्होंने आगे कहा कि दिनाँक 12 अप्रैल, 2006 के आरोप-पत्र के माध्यम से उनके खिलाफ शुरू की गई

अनुशासनात्मक कार्रवाई अवैध थी और इसलिए, इसप्रकार शुरुआत से ही अमान्य है। प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के सेवा निवृत्ति लाभ को अविलंब देय होने की तारीख से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ तुरंत जारी करें।

रिट-याचिका की अनुमति है।

न्या. रेखा शर्मा

दिसंबर, 23, 2009
केए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*